

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

1. प्रतीक दाधीच पुत्र चन्द्रप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी गोगागेट के अन्दर बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

बनाम

1. हंसराज पुत्र बाबूलाल जाति औझा निवासी गोगागेट के अन्दर बीकानेर।
2. स्टेट जरिये तहसीलदार छतरगढ़।

अपील संख्या-156 / 2020

GCMS No. 2020 / 00153

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	न० व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16.04.2024	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट श्री दिनेश गहलोत व अभिभाषक रैस्पोंडेन्ट श्री अजय कुमार ओझा उपस्थित। यह अपील राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-75 के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) छतरगढ़ के निर्णय दिनांक 14.02.2020 के विरुद्ध इस न्यायालय में क्षेत्राधिकार बिन्दु पर बहस हेतु विचाराधीन है। अभिभाषकगण की क्षेत्राधिकार बिन्दु पर बहस सुनी गई। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) छतरगढ़ के समक्ष वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.02.2020 पारित कर वसीयत की गई भूमि को राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी दर्ज होना बताते हुए अपीलांट के उक्त वसीयत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.02.2020 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के अंतर्गत कन्टेस्टेड प्रकरण की श्रेणी में नहीं है। अतः अपील अपीलांट इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार में नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाकर मूल अपील अभिभाषक अपीलांट को लौटाई जाने के आदेश दिये जाते हैं। अपील अपीलान्त निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय दिनांक 16.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

16/4/24